

व तारीख  
जो इस  
की तामील  
जारी हुए


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

14-2-2020 वकील उभयपक्ष उपर/ प्रा०पत्र 10 C.P.C.  
पर बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय दर० पत्रावली  
दि० 25-2-2020 को पेश हो।



25-2-2020 वकील उभयपक्ष उपर/ प्रा०पत्र 10 C.P.C.  
स्वीकार किया जाकर प्रकरण में कार्यवाही स्थगित  
की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा  
जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली  
फैसलशुमार कोकर नम्बर से कम हो एवं बाद  
तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
6/2020	दावा 20.1.2020	25.2.2020
4/2020	टी.आई. 20.1.2020	25.2.2020
राजूलाल	बनाम	रामकिशन वगैरा

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सी.पी.सी.

एवं धारा 11 सी.पी.सी.

उपस्थित :- श्री गोपाल लाल शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से  
श्री नरेन्द्र कुमार, एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 8,9 की ओर से  
निर्णय

उपरोक्त उनवानी दावा, प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रतिवादी संख्या 8 व 9 की ओर से दिनांक 24.6.19 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सी.पी.सी. इस आशय का प्रस्तुत किया है कि मिन प्रतिवादीगण द्वारा भूमि ख0न0 30 रकबा 0.32 है0, 199 रकबा 0.14 है0, 201 रकबा 0.11 है0, ख0न0 215 रकबा 0.20 है0, ख0न0 385 रकबा 0.60 है0, 393 रकबा 0.68 है0, 394 रकबा 0.34 है0, 418 रकबा 0.67 है0, 432 रकबा 0.81 है0, 434 रकबा 0.80 है0, 439 रकबा 0.72 है0 कुल खसरा 11 कुल रकबा 5.39 है0 स्थित ग्राम गोंवडीकलों तह0 गंगापुर सिटी के सम्बन्ध में एक उनवानी दावा मुकदमा संख्या 169/2013 उनवानी विनाता बनाम राजूलाल वगैरा दिनांक 3.10.2013 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, उक्त मूल वाद न्यायालय में विचाराधीन है। मूल वाद के समर्थन में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 106/2013 माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों की बहस सुनने के पश्चात प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए गैरसायलान को उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की खातेदारी भूमि में राजूलाल के हिस्से की भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखने के लिए पाबंद किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.2.2015 को पाबंद किये जाने के पश्चात गैरसायलान द्वारा उपरोक्त वर्णित समस्त खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में हस्तगत वादपत्र समान पक्षकारों के सम्बन्ध में एवं समान अनुतोष की मांग करते हुए माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। पूर्व में ही वाद के विचाराधीन रहते हुए वादीगण द्वारा यह पश्चातवर्ती वाद समान अनुतोष समान पक्षकार एवं समान विषयवस्तु के सम्बन्ध में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो कि अन्तर्गत धारा 10 सी.पी.सी. द्वारा पूर्णतः बाधित है।



  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी (स०मा०)

न्यायालय द्वारा ऐसे किसी भी पश्चातवर्ती वाद का विचारण नहीं किया जायेगा तब तक कि समान विषय वस्तु समान पक्षकार एवं समान अनुतोष के सम्बन्ध में पूर्व में वाद न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अतः हस्तगत प्रकरण के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा समस्त तथ्यों से अवगत होते हुए साजिशन माननीय न्यायालय से वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया विधि द्वारा वाधित होने के कारण स्टोपड किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सी०पी०सी० प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर हस्तगत प्रकरण का विचारण पूर्व वाद के अंतिम निस्तारण तक स्थगित किये जाने के आदेश फरमावें।

इस प्रार्थना पत्र का वादी की ओर से दिनांक 23.07.19 को जबाब प्रस्तुत किया गया। जिसमें उन्होंने अंकित किया है कि दरखास्त देहन्दा विनाता व सुमेरवाई ने यह प्रार्थना पत्र इस अमर का पेश किया कि अदालत हाजा में दावे में वर्णित भूमि खसरा नम्बरो का दावा पूर्व से विचाराधीन है तथा इस दावे व पूर्व के दावे में समान पक्षकार है। इसलिए बाद का दावा स्थगित किया जावे तथा प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में ख०न० 201 रकबा 0.11 है० दर्शित नहीं है जबकि वादी का दावा विशेषतः ख०न० 201 रकबा 0.11 है० का है। पूर्व के दावे व टी.आई. में केवल राजूलाल ही पाबंद था प्रतिवादी पाबंद नहीं था, उन्हें पाबंद नहीं किया गया है। इसलिए यह दावा व टीआई पेश की गई है। पूर्व के दावे में व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अदालत हाजा ने केवल राजूलाल को उसके हिस्से की भूमि का मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया था हॉल के इस दावे में जो पक्षकार प्रतिवादी हैं उन्हें पाबंद नहीं किया गया था चूंकि ये लोग बिना भूमि का विभाजन करवाये जबरन दावे में वर्णित भूमि में से से एक ख०न० 201 रकबा 0.11 है० में जबरन नाजायज निर्माण करने पर उतारू हो रहे हैं और अभी अदालत से भी पाबंद नहीं थे। पाबंदी न होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण ने भूमि ख०न० 201 रकबा 0.11 है० को हडपने के उद्देश्य से कथित भूमि पर जबरन निर्माण करना शुरू कर दिया। इस परिस्थिति में वादी ने यह केवल स्थाई निषेधाज्ञा का दावा इनके खिलाफ पेश किया है। इस कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सी.पी.सी. चलने योग्य नहीं है तथा खारिज होने योग्य है। विनीता और सुमेरवाई दोनों ही राजूलाल की लडकी हैं तथा ये ससुराल जा चुकी हैं। इनका इस भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसे में उन्हें प्रार्थना पत्र देने का कोई भी लोकस स्टेण्डाई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार से बाहर पेश किया गया है। वादी द्वारा कोई भी तथ्य माननीय न्यायालय के सामने नहीं छुपाये है केवल भूमि सुरक्षा हेतु उसने प्रतिवादीगण गैरसायलान के खिलाफ यह



  
उप जिला कलेक्टर  
गंगपुर सिटी (स०मा०)

केवल स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है जो चलने योग्य है एवं गैरसायलान को भी पाबंद किया जावे कि वे भूमि ख0न0 201 रकबा 0.11 है0 पर अवैध निर्माण नहीं करे और ना ही किसी अन्य से करावें। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 8 व 9 की ओर से पेश किया गया प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारिज फरमाया जावें।

उपरोक्त प्रार्थना पत्रों पर बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई। प्रतिवादीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि हस्तगत वाद धारा 10 सी0पी0सी0 से बाधित है क्योंकि इसमें समान भूमि, समान पक्षकार एवं समान रिलीफ है। इसलिए धारा 10 सी0पी0सी0 के तहत हस्तगत वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पूर्व के वाद के निर्णय होने तक कार्यवाही स्थगित फरमाई जावे।

वादी के विद्वान अभिभाषक ने अपने जबाब के अनुसार बहस करते हुए कहा कि प्रतिवादी दर0 देहन्दा वादी राजूलाल की ही पुत्रियां हैं जिनका विवाह हो चुका है और वे अपने ससुराल में रहती हैं। इन्हें वाद प्रस्तुत करने का या यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेण्डाई ही नहीं है। इसके अतिरिक्त वादी ने मूल रूप से ख0न0 201 के सम्बन्ध में ही दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए इनका प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र, पूर्व के वाद संख्या 169/2013 उनवानी विनाता बनाम राजूलाल वगैरा का अवलोकन किया। पूर्व का वाद संख्या 169/2013 उनवानी विनाता बनाम राजूलाल वगैरा भूमि ख0न0 30 रकबा 0.32 है0, 199 रकबा 0.14 है0, 201 रकबा 0.11 है0, ख0न0 215 रकबा 0.20 है0, ख0न0 385 रकबा 0.60 है0, 393 रकबा 0.68 है0, 394 रकबा 0.34 है0, 418 रकबा 0.67 है0, 432 रकबा 0.81 है0, 434 रकबा 0.80 है0, 439 रकबा 0.72 है0 कुल खसरा 11 कुल रकबा 5.39 है0 स्थित ग्राम गॉवडीकलॉ तह0 गंगापुर सिटी के सम्बन्ध में है जो भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद है। इस वाद में वही पक्षकार हैं जो हस्तगत वाद में है। वर्तमान वाद उनवानी राजूलाल बनाम रामकिशन वगैरा भी भूमि ख0न0 30 रकबा 0.32 है0, 199 रकबा 0.14 है0, 201 रकबा 0.11 है0, ख0न0 215 रकबा 0.20 है0, ख0न0 385 रकबा 0.60 है0, 393 रकबा 0.68 है0, 394 रकबा 0.34 है0, 418 रकबा 0.67 है0, 432 रकबा 0.81 है0, 434 रकबा 0.80 है0, 439 रकबा 0.72 है0 कुल खसरा 11 कुल रकबा 5.39 है0 स्थित ग्राम गॉवडीकलॉ तह0 गंगापुर सिटी के सम्बन्ध में भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का है। इस वाद में भी वही पक्षकार हैं जो वाद संख्या 169/2013 में है। इस प्रकार दोनों वाद पत्रों में विवादित भूमि, पक्षकारान व चाही गई रिलीफ समान हैं। जहां तक वादी राजूलाल के विद्वान वकील का यह कहना कि उन्होने



उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर (संख्या 0)

राजूलाल बनाम रामकिशन वगैरा, दावा व टी0आई0प्रा0पत्र

( 4 )

ख0नं0 201 के सम्बन्ध में ही रिलीफ चाही है क्योंकि पूर्व में राजूलाल को ही पाबंद किया गया था, अन्य गैरसायलान को नहीं । हम वादी राजूलाल के इस कथन से सहमत नहीं हैं। पूर्व की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 106/2013 के निर्णय दिनांक 12.2.2015 में ख0नं0 201 के सम्बन्ध में ही निर्णय दिया गया है जिसमें यह अंकित किया गया है कि गैरसायल राजूलाल के हिस्से की भूमि की मौका व रेकार्ड की यथास्थिति मूल वाद के निर्णय तक बनाए रखने हेतु गैरसायलान को पाबंद किया जाता है। इस प्रकार इस टी0आई0 के निर्णय में सभी गैरसायलान को पाबंद किया गया है। चूंकि हस्तगत वाद व टी0आई0 प्रार्थना पत्र उनवानी राजूलाल बनाम रामकिशन वगैरा में पूर्व के वाद व टी0आई0 उनवानी विनाता बनाम राजूलाल वगैरा के अनुसार ही वादग्रस्त भूमि होने, समान पक्षकार होने व समान रिलीफ होने के कारण यह दावा व टी0आई0 धारा 10 व 11 सी0पी.सी0 के प्रावधानों से प्रभावित है एवं इनमें सुनवाई की कार्यवाही स्थगित किया जाना न्यायोचित है।


आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 8, 9 द्वारा दिनांक 24.6.2019 को दावा उनवानी राजूलाल बनाम रामकिशन वगैरा में धारा 10 सी0पी0सी0 के तहत एवं टी0आई0 प्रार्थना पत्र में धारा 11 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाकर उपरोक्त उनवानी दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में सुनवाई की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.2.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



  
( विजेन्द्र कुमार मीना )  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी (स०मा०)

